

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी-३, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक ७४०/२७४/आउशि/सम./२०२०
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक ०५/१०/२०२०

१. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय, छ.ग.।
२. प्राचार्य,
समस्त अग्रणी शासकीय महाविद्यालय छ.ग.।

विषय :- कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन तथा अन्य क्षेत्रों में अनलॉक हेतु भारत सरकार तथा राज्य शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं के लिए जारी किए जाने वाले निर्देशों के सम्बंध में।

संदर्भ

—000—

उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि, भारत सरकार, यूजीसी, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा कोविड-१९ कोरोना संक्रमण के कारण लॉक डाउन अवधि में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिये, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय का संचालन, परीक्षा आयोजन एवं शिक्षा सत्र २०२०-२१ में प्रवेश के संबंध में विभिन्न दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

भारत सरकार द्वारा जारी अनलॉक-५ संबंधी गाईड लाईन में १५ अक्टूबर-२०२० से शैक्षणिक गतिविधियों प्रारंभ किये जाने का उल्लेख है।

अतः प्रदेश के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में भी नियमित कक्षाये प्रारंभ करने के पूर्व प्रवेशित छात्रों, शिक्षकों एवं प्राचार्यों से फीडबैक के माध्यम से अभिमत प्राप्त कर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाना है। अतएव विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के कुलसचिव, शैक्षणिक स्टॉफ एवं छात्रों से फीडबैक प्राप्त कर अभिमत सहित जानकारी प्रेषित करने हेतु फीडबैक फार्म संलग्न प्रेषित है।

कृपया अपने विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के शिक्षकों/ प्रवेशित छात्र-छात्राओं से उक्त फार्म में जानकारी एकत्र एवं एकजाई कर निर्धारित प्रपत्र में अभिमत सहित प्रस्ताव क्षेत्रीय अपर संचालक कार्यालय को दिनांक १२.१०.२०२० तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

५/१०
(श्रीमती शारदा वर्मा)

आयुक्त

उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक ७४१ /२७४/आउशि/सम./२०२०

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक ०५/१०/२०२०

प्रतिलिपि :-

१. क्षेत्रीय अपर संचालक, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर सरगुजा एवं बस्तर संभाग की ओर सूचनार्थ कि अपने संभाग के अन्तर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की जानकारी एकजाई कर तत्काल इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।
२. प्राचार्य, समस्त महाविद्यालय छ.ग. की ओर इस निर्देश के साथ की अपने महाविद्यालय की जानकारी तत्काल जिले के अग्रणी महाविद्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर (छ.ग.)